

129097/2023

Issued (निर्गत) ... 09.../06.../2023
 Section Officer (अनुभाग अधिकारी)

उत्तराखण्ड शासन

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-5

संख्या-129097/XXVIII(5)/2023 (E-31073)

देहरादून: दिनांक : 09 जून, 2023

स्थानान्तरण आदेश

एतद्वारा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-1901/चि0शि0/03(मेडिकल)/104/2022 दिनांक 01 जून, 2023 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के अधीन शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन निम्नलिखित संकाय सदस्यों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-3 से कॉलम-4 में उल्लिखित स्थान पर किया जाता है

:-

क्र० सं०	संकाय सदस्य का नाम/विभाग का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के उपरान्त प्रस्तावित तैनाती स्थल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
प्रोफेसर				
1.	डॉ० संगीता सिंह, बॉयोकेमिस्ट्री	रा०मे०का० श्रीनगर।	रा०मे०का० हल्द्वानी	पति गम्भीर रूप से रोगग्रस्त होने के कारण स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-3(घ) तथा 17(1)(ख)(एक) के अधीन अनुरोध के आधार पर।
2.	डॉ० अनन्त नारायण सिन्हा, फिजियोलॉजी	रा०मे०का० हल्द्वानी	रा०मे०का० देहरादून	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-3(घ) तथा धारा-17(1)(ख) के अधीन अनुरोध के आधार पर।
3.	डॉ० केदार शाही, जनरल सर्जरी,	रा०मे०का० अल्मोड़ा	रा०मे०का० रूद्रपुर	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-13(3) तथा धारा-17(1)(ख)(चार) के अधीन अनुरोध के आधार पर।
4.	डॉ० उषा जोशी, पैथालॉजी	रा०मे०का० अल्मोड़ा	रा०मे०का०, हल्द्वानी	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-3(घ) तथा धारा-17(1)(ख) के अधीन अनुरोध के आधार पर।
एसोसिएट प्रोफेसर				

5.	डॉ० श्रुति बरनवाल, डर्मोटोलॉजी	रा०मे०का०, अल्मोड़ा	रा०मे०का० देहरादून	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-3(घ) एवं धारा-17(1)(ख) के अधीन अनुरोध के आधार पर।
6.	डॉ० निधि नेगी, माइक्रोबायोलॉजी	रा०मे०का० श्रीनगर गढ़वाल	रा०मे०का० देहरादून	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-13(3) तथा धारा-17(1)(ख)(चार) के अधीन अनुरोध के आधार पर।
असिस्टेंट प्रोफेसर				
7.	श्री दीपक जुयाल, माइक्रोबायोलॉजी	रा०मे०का० अल्मोड़ा।	रा०मे०का० देहरादून	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-3(घ) तथा धारा-17(1)(ख) के अधीन अनुरोध के आधार पर।
8.	डॉ० अंकिता जुयाल, फिजियोलॉजी	रा०मे०का० अल्मोड़ा	रा०मे०का० देहरादून	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-3(घ) एवं धारा-17(1)(ख) के अधीन अनुरोध के आधार पर।
9.	डॉ० सोनिया, जनरल मेडिसिन,	रा०मे०का० अल्मोड़ा	रा०मे०का० देहरादून	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-13(3) तथा धारा-17(1)(ख)(चार) के अधीन अनुरोध के आधार पर।
10.	डॉ० अरूण पाण्डेय, जनरल मेडिसिन	रा०मे०का० अल्मोड़ा।	रा०मे०का० देहरादून	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-3(घ) तथा धारा-17(1)(ख) के अधीन अनुरोध के आधार पर।
11.	डॉ० प्रियंका असवाल, पैथोलॉजी	रा०मे०का० हल्द्वानी	रा०मे०का० देहरादून	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-3(घ) तथा धारा-17(1)(ख) के अधीन अनुरोध के आधार पर।
12.	डॉ० राजीव कुशवाह, बायोकैमिस्ट्री विभाग	रा०मे०का० अल्मोड़ा	रा०मे०का० देहरादून	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-3(घ) एवं धारा-17(1)(ख) के अधीन अनुरोध के आधार पर।

2- उपरोक्त संकाय सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह के भीतर कॉलम-4 में अंकित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

Signed by R. Rajesh Kumar

Date: 09-06-2023 17:56:30

(डॉ० आर० राजेश कुमार)

सचिव।

संख्या- 129097
/XXVIII(5)/2023 (E-31073) एवं तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा० विभागीय मंत्री, उत्तराखण्ड को मा० विभागीय मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।

3. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेशों को स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-26 के अधीन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. समस्त प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित संकाय सदस्य द्वारा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।